

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अदालत

सदर जज अदालत

(100) नगर

मुकाम

अशराम

बनाम

अशराम काता

किस्म मुकदमा

क्र. 111/128 RLR

नं. 181/2022-सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/4/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खेताराम जावड़ा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>10/5/22</u> को पेश हो।</p>	<p>274</p> <p>28/4/22</p>
10/05/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/ विप्रार्थी/वादी</p> <p>के नोटिस तामिल शुद्धा प्राप्त जिये</p> <p>तामिल पत्रावली विप्रार्थी/वादी/ विप्रार्थी/वादी</p> <p>वाकजुस तामिल अनुउपरिपत्र/ न्यायालय</p> <p>समय तीन बार का काज लगाई गई अतिस</p> <p>का काज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी</p> <p>जो स्वयं मा उनसे मीटिंग में गई</p> <p>अधिकतर उपरिपत्र नहीं हुआ अतिस</p> <p>विप्रार्थी/वादी के विरुद्ध एडवोकेट डाफेंडर</p> <p>अमल में लाई जाली के कितने वास्ते बहस</p> <p>पत्रावली दिनांक - 01/06/2022 को पेश हो।</p>	<p>कारक्टर (SD-)</p> <p>वामन</p> <p>विप्रा - नरनेर</p> <p>कारक्टर (SD)</p> <p>वामन</p> <p>विप्रा - नरनेर</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियलस जज

11/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावत तमिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

जज कलक्टर (SDO)
बायतु
मिल - राउमेर

न्यायालय उपख
प्रार्थी 159
मामक वाद 2022
भारतम पुत्र कुमालराम जगर
जति जट नवकी मखरडि
पटवार मखरडि नखरडि
तहसील बायतु
बनाम
प्रार्थी

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक वाद / 2022 / 859
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 01/06/2022
विप्रार्थीगण

1. भैराराम पुत्र जूगताराम वगैरा 06,
जाति जाट, निवासी सखरोडा,
पटवार मण्डल चौखला,
तहसील बायतु (बाडमेर)


1. भैराराम पुत्र रूगनाथ वगैरा 07,
जाति जाट, निवासी सखरोडा,
पटवार मण्डल चौखला,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 181/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - सखरोडा, पटवार मण्डल - चौखला तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 158/62, 159/62 रकबा क्रमशः 0.2589, 0.0647 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 860 - 864

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भैराराम पुत्र जूगताराम वगैरा 06,
4. विप्रार्थी श्री भैराराम पुत्र रूगनाथ वगैरा 07,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 01/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर